न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 01 / 2013
RCMS No. 2013/00096

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
प्रतापराम पुत्र मगाराम जाति सीरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत		1. सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास तहसील सोजत 2. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, धीनावास तहसील सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/02/18

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 01 / 1972–73 संकल्प संख्या 01 दिनांक 31.07.1972 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 31.12.1972 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने जाहिर किया कि पक्षकार प्रकरण में रिट याचिका प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली ले गए है, इस कारण बहस हेतु असमर्थता जाहिर की। प्रकरण दिनांक 30.11.2016 से बहस में नियत होने एवं अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी बहस न सुनाने को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत धीनावास से मिलावट कर एक सार्वजनिक चौक में भूखण्ड का पट्टा गैर कानूनी रूप से हासिल किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नही किया तथा न ही नक्शा शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क जमा करवाया। ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत नहीं किया, यदि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया जाता, तो स्पष्ट हो जाता कि वांछित भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि है, आबादी भूमि नहीं है। इसके पश्चात न तो कोई अस्थाई निर्णय लिया गया एवं न ही कोई नियम 260 के तहत आपत्ति नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 01/1972-73 संकल्प संख्या 01 दिनांक 31.07.1972 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 31.12.1972 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत धीनावास ने अपने पत्र क्रमांक/2013-14/65 दिनांक 19.11.2013 के जरिये अवगत कराया कि प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मात्र पट्टा बही ही पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत द्वारा भी अपने पत्रांक/पससो/2013/213 दिनांक 11.03.2013 के जरिये अवगत कराया कि जैर निगरानी पट्टा गांव की आखरिया (गायों हेतु) है एवं ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त संस्था (अप्रार्थी संख्या 2) को मिसल संख्या 5/1980-1981 में पारित प्रस्ताव दिनांक 21.08.1981 की पालना में पट्टा संख्या 1/81-82 दिनांक 31.08.1981 को जारी किया जा चुका है, जिस पर सहकारी समिति लिमिटेड का भवन निर्मित है। अतः जैर निगरानी पट्टे को निरस्त कराने का निवेदन किया है। प्रथमतः जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना, पट्टे को संदेहास्पद बनाते हुए पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को दूषित करता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अन्य पट्टा भी जारी किया जा चुका है, जिस पर भवन भी निर्मित है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 01/1972-73 संकल्प संख्या 01 दिनांक 31.07.1972 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 31.12.1972 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली